

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
24/24	212 RTA	कलमंडा	बारा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कीर्त	बनाम	गोएधन वरी	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
1.5.24	<p>अभिभाषक जमीन एवं जमीन पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध कजामी गण के न्यायालय के इस आशय का पत्र लिखा गया कि उक्त कलमंडा तह. बारा में आरानी ख. नं. 512 रकबा 0.25 हे. ख. नं. 513 रकबा 0.11 हे. कुल 2 छिटा रकबा 0.36 हे. स्थित है उक्त छिटादि आरानी जमीन एवं कजामी गण के शासनाधीन खान की पुश्तैनी आरानी है छिटा पट जमीन गण एवं कजामी गण का राजस्व रिकार्ड में हिस्से अडवाट लिखा गिठिन है। कजामी कृषि क्षेत्र में विषम काल है उक्त आरानी शालावाड रोड से नजदीक होने के कारण कजामी कृषि 54 द्वारा कबर कपन रद्द कर का फायदा उठाकर बारा के रद्द कर टा तथा बाहुकलिने तथा जेपरी डिलरे के माध्यम से सम्पूर्ण खान पट कच्चा काला नष्ट है तथा किता विभाजन कराने कपन छिटेने की आरानी का जेपरी डिलरे को बेनाम काले पट आकाडा है जेपरी डिलरे परा प्राथमिक गण की छिटे पट की आवसीय कालेनी काले की धमकी ही जा रही है जमीनमाग एवं कजामी गण को वाकड काले का विवेक लिखा है।</p> <p>वकील जमीन को पुनः गमा। पत्रावली एवं रिकार्ड का अनुलेकन लिखा गया। कजामी गण को जपे कस्माती विवेकाज्ञा वाकड लिखा जाग है कि विवादि आरानी को उक्त कलमंडा तह. बारा के ख. नं. 512 रकबा 0.25 हे. ख. नं. 513 रकबा 0.11 हे. भूमि पट जमीन गण के हिस्से तक रिकार्ड की गणालिने दिनांक 11-6-24 तक बगले रखा प्रकरण इस शक्ति लिखा जागे कजामी गण को जपे काले तलड लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 11-6-24 को प्रेष है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
बारा

